रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2010/भाद्र 16, 1932

No. 497] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2010/BHADRA 16, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 732(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 27 के उप-नियम (1) में दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह भी कि आयात के लिए सिद्ध मदों को अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई या विकासकर्ता द्वारा भारत से बाहर के किसी स्थान से उपाप्त किया जा सकेगा ।"

3. मूल नियम के नियम 45 के उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुकों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु कोई इकाई अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से भारत से बाहर किसी स्थान को प्रतिषिद्ध मदों का निर्यात कर सकेगी :

परंतु यह और कि ऐसी प्रतिषिद्ध मदों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।"

[फा. सं. सी. 4/1/2010-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती निम्नानुसार संशोधित किए गए :–

क्र.सं.	सा.का.नि.	तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	470(अ)	10 अगस्त, 2006
2.	393(अ)	16 मार्च, 2007
3.	1744(अ)	12 अक्तूबर, 2007
4.	2661(अ)	14 नवम्बर, 2008
5.	72(अ)	3 फरवरी, 2009
6.	1293(अ)	20 मई, 2009
7.	562(अ)	3 अगस्त, 2009
8.	501(अ)	14 जून, 2010
9.	597(अ)	12 जुलाई, 2010

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2010

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Sepcial Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2009 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 27, in sub-rule (1) after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that items prohibited for import can be procured by a Special Economic Zone unit or Developer from a place outside India to the Special Economic Zone with the prior approval of Board of Approval".

3. In the principal rules, in rule 45 in sub-rule (1), the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided that a unit may export prohibited items to a place outside India with prior approval of Board of Approval :

Provided further that such prohibited items cannot be procured from Domestic Tariff Area."

[F. No. C. 4/1/2010-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54 (E), dated the 10th February, 2006 and subsequently amended *vide* notifications as under :—

Sl. No.	G.S.R.	Dated
1.	470(E)	10th August, 2006
2.	393(E)	16th March, 2007
3.	1744(E)	12th October, 2007
4.	2661(E)	14th November, 2008
5.	72(E)	3rd February, 2009
6.	1293(E)	20th May, 2009
7.	562(E)	3rd August, 2009
8.	501(E)	14th June, 2010
9.	597(E)	12th July, 2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.